न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 76 / रा.भू–राजस्व अधि. / 26 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. पूनमचंद पुत्र काछबाराम 2. भूराराम पुत्र कोजाराम 3. लुम्बाराम पुत्र कोजाराम 4. चैनाराम पुत्र कोजाराम जातियान जाट निवासी पादरड़ी खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।	बनाम 1.जगदीश पुत्र हराराम 2.खंगाराराम पुत्र वीराराम 3.कोजाराम पुत्र प्रहलादराम 4.आसूराम पुत्र मानाराम जातियान विश्नोई 5.मालाराम जयरूपाराम 6.भूपाराम पुत्र जयरूपाराम 7.मांगीलाल पुत्र प्रहलादराम 8.पीराराम पुत्र प्रेमाराम 9.चुन्नीलाल पुत्र पीराराम जातियान मेघवाल 10.रूगनाथराम पुत्र हुकमाराम 11.हुकमाराम पुत्र भलाराम जातियान विश्नोई निवासीयान सालू की ढाणी तहसील गुड़ामालानी।

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व अपर जिला कलक्टर बाड़मेर के प्रकरण संख्या 13 / 2015 बअनवान जगदीश बनाम पूनमचन्द वगैरा निर्णय दिनांक 19.02.2019 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री दलपतसिंह सिसोदिया अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नारायण कुमावत रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7 व 9 से 11 की ओर से।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः– 14.06.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सिंधासवा हरनियान ने दिनांक 11.10.2014 को एक रिपोर्ट तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सालू की ढाणी के खसरा संख्या 617 रकबा 14 बिस्वा गेर मुमकिन गोचर की भूमि में हो रहे निर्माण कार्य मौतबिरान के रूबरू नोटिस चस्पा कर निर्माण नहीं करने बाबत पाबंद किया गया। इस पर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा नायब तहसीलदार को प्रकरण दर्ज कर गैरसायलान को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये। प्रकरण दर्ज कर दोनों पक्षों की सुनवाई एवं मौका कब्जा की

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

भौतिक स्थिति की रिपोर्ट के आधार पर गैर सायलान/रेस्पोडेंट को गैर मुमकिन गोचर की भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखंल करने का निर्णय दिनांक 07.01.2015 पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट पूनमचंद द्वारा एक रिव्यू आवेदन पत्र पुस्तुत किया, जिसे आदेश दिनांक 06.02.2015 के द्वारा स्वीकार कर प्रकरण पुनः सुनवाई में लिया गया तथा भू अभिलेख निरीक्षक, गुड़ामालानी एवं हल्का पटवारी से वर्तमान मौका स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त जांच रिपोर्ट पर दोनों पक्षों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 31.03.2015 के द्वारा मूल निर्णय दिनांक 07.01.2015 को निरस्त कर प्रकरण नियमानुसार दर्ज नहीं होने के कारण खारिज कर दिया, जिस निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेंटगण ने माननीय अपर जिला कलक्टर बाड़मेर के समक्ष अपील पेश की गई, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम अपील का आंशिक रूप से स्वीकार कर इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की कि दोनों पक्षकारों को सुनकर प्रकरण का निस्तारण करें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में तथ्यों एवं कानून की भारी भूल की है। रेस्पोडेंट सभी गांव सालू की ढाणी के निवासी है जबकि अपीलांट पादरड़ी खुर्द के निवासी है तथा अपीलाधीन भूमि गांव पादरड़ी खुर्द में अवस्थित है जिससे रेस्पोडेंट का कोई हित नहीं है, बावजूद अपीलांट को नाहक परेशान करने की नियत से यह गलत कार्यवाही एवं शिकायत की जा रही है। अपीलाधीन भूमि गांव सालू की ढाणी में भौगोलिक एवं प्रशासनिक रूप से सही नहीं होने से पुनः अपीलाधीन भूमि को वर्तमान में गांव पादरड़ी खुर्द में सम्मिलित कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा भी दोनों पक्षों को सुनकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया है उसमें कोई त्रुटि नहीं है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा मात्र पुनर्वलोकन शब्द का गलत विवेचन कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। वर्तमान में अपीलाधीन भूमि की किस्म परिवर्तन होकर गैर मुमकिन श्माशान के रूप में आंवितत हो चुकी है जिससे भी उक्त प्रकरण में पारित आदेश निष्फल हो जाने से इन परिस्थितियों में भी अपीलाधीन निर्णय काबिल खारिज योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में तथ्यों एवं कानून की भारी भूल की है। रेस्पोडेंट सभी गांव सालू की ढाणी के निवासी है जबकि अपीलांट पादरड़ी खुर्द के निवासी है

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तथा अपीलाधीन भूमि गांव पादरड़ी खुर्द में अवस्थित है जिससे रेस्पोडेंट का कोई हित नहीं है, बावजूद अपीलांट को नाहक परेशान करने की नियत से यह गलत कार्यवाही एवं शिकायत की जा रही है। अपीलाधीन भूमि गांव सालू की ढाणी में भौगोलिक एवं प्रशासनिक रूप से सही नहीं होने से पुनः अपीलाधीन भूमि को वर्तमान में गांव पादरड़ी खुर्द में सम्मिलित कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा भी दोनों पक्षों को सुनकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया है उसमें कोई त्रुटि नहीं है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा मात्र पुनर्वलोकन शब्द का गलत विवेचन कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। वर्तमान में अपीलाधीन भूमि की किस्म परिवर्तन होकर गैर मुमकिन श्माशान के रूप में आंविटत हो चुकी है जिससे भी उक्त प्रकरण में पारित आदेश निष्फल हो गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि नायब तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपीलांट को नोटिस व सुनवाई उपरांत निर्णय दिनांक 07.01.2015 के द्वारा अतिक्रमी घोषित कर जुर्माना अधिरोपित किया तथा बेदखली का आदेश पारित किया। इसके पश्चात नायब तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा स्थानीय विधायक के प्रभाव में आकर रेस्पोडेंट को सूचना दिये बिना ही एकपक्षीय सुनवाई के द्वारा रिव्यु करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई पर लिया गया जिसकी रेस्पोडेंटगण को जानकारी नही हुई। रेस्पोडेंट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय में पेश अपील आंशिक स्वीकार कर उभयपक्ष को सुनवाई का मौका देकर निर्णय पारित करने का आदेश पारित किया गया जो विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने की फिराक में है इसलिए उसने अपने सोची समझी योजना के अनुसार भूमि की किस्म परिवर्तन करवाई है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि वादग्रस्त आराजी ग्राम पादरड़ी खुर्द के खसरा संख्या 617 रकबा 0.14 बीघा किस्म गैर मुमकिन गोचर की संपूर्ण भूमि सार्वजनिक श्मशान हेतु जिला कलक्टर, बाड़मेर के आदेश क्रमांक प. 12(148)(1)राज/2017/2771 दिनांक 25.04.2018 से भूमि की किस्म खारजि कर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 92 के अंतर्गत सैट-अपार्ट(आरक्षित) की जा चुकी है। इसका अमल दरामद भी जरिये नामांतरण संख्या 394 राजस्व रिकॉर्ड में हो चुका है। लिहाजा वादग्रस्त भूमि की किस्म परिवर्तित होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित हो जाने से उभयपक्ष के बीच इसको लेकर विवाद का शमन हो

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

चुका है। उक्त आदेश के फलस्वरूप अपीलाधीन आदेश के तहत निर्दिष्ट अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर बाड़मेर के प्रकरण संख्या 13/2015 बअनवान जगदीश बनाम पूनमचन्द वगैरा निर्णय दिनांक 19.02.2019 को निरस्त किया जाता है।

14/6/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 14.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/6/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner